Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 15-12-2005
Participants : Singh Shri Bijendra,Deo Shri Bikram Keshari

>

Title : Further discussion regarding problems being faced by agriculture sector raised by Dr. Chinta Mohan on 13 December, 2005 (Discussion not concluded).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Item No. 21. Last time Chaudhary Bijendra Singh was on feet. He has already taken two minutes. Now, I request him to continue his speech.

चौधरी विजेन्द्र सिंह माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पुनः कृषि की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि देश के 80 प्रतिशत किसान सौ प्रतिशत जनता को खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। पूरा देश आज खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। पूरे देश में आज भंडार भरे हुए हैं, लेकिन किसान आज की तारीख में आत्मनिर्भर नहीं है। यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी सरकार की, हमारी नीतियों की चूक है। 80 प्रतिशत बजट के किसान हकदार हैं, उसे बजट का बहुत कम अंश ही दिया जाता है। कृषि विभाग के द्वारा जितने बजट की मांग की जाती है, उतने बजट को, उसकी पूर्ति के लिए नहीं दिया जाता। इसका प्रभाव कृषि की तमाम समस्याओं पर पड़ता है। घाघरा कवि ने देश की आजादी के समय कहा था - "उत्तम खेती मध्यम बांध, निश्चित चाकी भीख निदान।" लेकिन आज किसान समस्याओं से जूझते हुए बर्बाद हो गया है और आज इस कथन का उल्टा अर्थ निकालने लगा है। किसान कहता है कि उद्यम नौकरी माध्यम बांध और खेती हो गयी भीख निदान। महोदय, वास्तविकता यह है कि कृषि की स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत सारे सुझाव कृषि विभाग को दिए, जिन्हें हम अपनी नीतियों में शामिल करें और किसानों की समस्याओं का समाधान संभव हो सके, लेकिन ये तमाम सुझाव हमारी फाइलों तक ही सीमित रहे और किसानों की समस्याओं के लिए कानून नहीं बन सके। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि जब देश आजाद हुआ था, तब किसानों के कर्ज के लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था और आज उसे बढ़ाकर 70 हजार करोड़ रूपए कर दिया गया है। जब इस राशि को हम मूलतः देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन जब इसकी तुलना अन्य विभागों के बजट से की जाती है, तब हमें पता चलता है कि कृषि पर कुछ भी खर्च नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो बजट वित्त विभाग को कृषि विभाग से भेजा जाता है, उसमें वित्त विभाग के द्वारा बहुत सारी कटौती की जाती है, जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान संभव नहीं हो पाता है। जो राशि कर्ज के रूप में देने के लिए बजट में पास की जाती है, जिसे 18 प्रतिशत किसानों दिया जाना चाहिए, जबकि 7 प्रतिशत किसानों को ही कर्ज के रूप में मुहैया कराया जाता है। मैं एक बात और कहूंगा, कि किसान आज भी दैवी आपदाओं और सरकार की

नीतियों पर निर्भर करता है, इसीलिए आज किसान आत्मनिर्भर नहीं है। इस देश की कृाि मूलतः दैवी आपदाओं के ऊपर आत्मनिर्भर रहती है। आपने देखा होगा कि किसान कितनी भी खेती, कितनी भी लागत के साथ पैदा करने की कोशिश करे, यदि दैवी आपदा, ओलावृटि हो, जलप्लावन हो, अधिक वार्ा हो या सूखा हो, तो इन तमाम दैवी आपदाओं से किसान जूझता है और पतन के कगार पर पहुंच जाता है। हमारे यहां यह भी देखने को मिलता है कि कृाि विभाग आजादी के बाद मूलतः एक बड़ा विभाग था। इसी विभाग से जुड़ा हुआ बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, हर्टीकल्चर विभाग व अन्य विभाग, ये सभी विभाग कृाि विभाग में थे, आज इन सारे विभागों के अलग-अलग विभाग बन गए हैं। कृाि विभाग बहुत तैयारी के साथ कृाि को बढ़ाने की कोशिश करता है, कृाि उत्पादन की क्षमता को देश की पूर्ति तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कृाि विभाग को अन्य विभागों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब बिजली का संकट आता है, तो बिजली नहीं होती cè[c73]।

कभी सिंचाई के साधनों में कमी आ जाती है तो कभी सिंचाई विभाग निक्रिय हो जाता है। कृाि विभाग और किसान को दूसरे विभागों की निक्रियता का परिणाम भुगतना पड़ता है। हम चाहते हैं कि एक स्टैंडिंग कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए जो फसल के वक्त से पहले ही बने। जैसे रबी की फसल के वक्त से पहले सारे ि वभागों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बने जिसमें आपस में विचार विनिमय हो कि इस तारीख से उस तारीख तक यह वक्त फसल के लिए होगा और उस समय बिजली की अधिक सप्लाई देनी होगी और उस वक्त तक सिचांई के साधनों को मुहैया कराना होगा। अगर इन विभागों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो किसान कृाि की उपज अपने तरीके से नहीं बढ़ा सकते। इस तरह ये तमाम चीज़ें संकट के रूप में उनके सामने आती हैं। बहुत सी डिमांड स्टैंडिंग कमेटी द्वारा की गईं हैं और बहुत सी चर्चाएं सदन में भी हुईं हैं कि कृाि को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। लेकिन जब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं होगी, सारे विभागों को कोऑर्डिनेट नहीं किया जाएगा और समय से पहले तैयारी नहीं की जाएगी तब तक हम अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सकते।

किसान को कर्ज की आवश्यकता पड़ती है। किसान को कर्ज देने के लिए हमारी सरकार ने वचनबद्धता को दोहराया है और बार-बार कोशिश भी की है। लेकिन किसान को कर्जा देने की जो प्रक्रिया है वह बहुत लंबी है। इस प्रक्रिया को सरल और शार्ट बनाने की आवश्यकता है। हम वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड की योजना चलाई। लेकिन क्रेडिट कार्ड की योजना में पुराने मानक हैं...(व्यवधान) लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड की योजना चलाई, मूलतः उसका उद्देश्य किसानों में अधिक से अधिक कर्जा देकर किसानों में उत्पादन बढ़ाने की क्षमता पैदा करना था। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक छोटा उद्योगपति जब छोटा सा उद्योग लगाता है तो उसके कर्ज लेने की कोई सीमा नहीं है। दूसरी तरफ किसान जब अपने हिसाब से क्रेडिट कार्ड की मांग करता है तो उस पर लिमिट फिक्स कर दी जाती है। उस लिमिट से उसकी पूर्ति नहीं होती है और पैसे के अभाव में किसान अच्छे तरीके से उत्पादन नहीं कर पाता है। हम चाहते हैं कि उसकी सीमा बढ़ाई जाए और उसका कोई शार्ट तरीका अपनाया जाए।

इससे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि खाद, बीज मुहैया कराने का जब वक्त आता है तो किसान दूसरी विधाओं पर निर्भर रहता है। आपने देखा होगा कोऑपरेटीव सैक्टर में एल.एस.एस. सोसाइटियां होती हैं, खादों के बड़े-बड़े गोदाम होते हैं जिन्हें बड़े लोग डम्प कर देते हैं। जिससे जब समय पर खाद नहीं मिल पाता है। किसान की उत्पादन बढाने की तैयारी तो होती है लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाता है। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ था तब कृाि को प्रोत्साहन दिया गया था। इसके लिए प्रदर्शनियां लगी थीं और वैज्ञानिक भेजे गए थे। किसानों को प्रोत्साहन दिया गया था और नई तकनीक लाने की कोशिश की गई थी। लेकिन बीच के समय में इस गति में अवरोध पैदा हुआ और ऐसा लगने लगा कि यहां के किसान को तकनीकी शिक्षा की आ वश्यकता नहीं है, तकनीकी रास्ता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि पूरे मुल्क में सब विभागों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिला है और नए इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं और इस संबंध में जानकारियां दी जा रही है। हमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, कृाि की समस्याओं का समाधान करना है तो हमें तकनीकी शिक्षा को इस विभाग में आगे लाना चाहिए और इस तरह के इंस्टीट्यूशन्स खोलने चाहिए जिससे किसानों को अच्छी जानकारी मिले। खाद की जानकारी मिले, ट्रांसपोर्टेशने की जानकारी मिले, डेयरी की जानकारी मिले, हॉटीकल्चर की जानकारी मिले और बहुत से संबंधित विभागों की जानकारी मिले।

एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूं कि किसी भी उत्पादक को लागत मूल्य से उपज मूल्य अधिक मिलता है तो उसे प्रॉफिट होता है। जब लागत मूल्य और उपज मूल्य में कोई गैप नहीं होता या बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता तो उसे कोई प्रॉफिट नहीं होता। अक्सर देखा गया है जब कृाि के उपज मूल्य को निर्धारित किया जाता है तो समय से पहले निर्धारित नहीं किया जाता, जब समय निकल जाता है तब रेट फिक्स होता है। रेट फिक्स होने के साथ एक और चीज देखी गई है कि लागत मूल्य को देखकर उपज मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता। बीच के सालों में आपने देखा होगा कि डीजल के रेट चार या पांच बार बढ़े हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन रेट बढ़ते हैं और उसका मूल्य एक डेट में निर्धारित किया जाता है। एक फसल का एक र्वा के लिए मूल्य निर्धारित हो गया और अगर बीच मे महंगाई बढ़े, चाहे तेले के रेट बढ़ें, चाहे डीजल के रेट बढ़ें, चाहे सिंचाई के रेट बढ़ें, इन तमाम चीजों का असर कृाि की उपज पर पड़ता है और ये तमाम चीजें उसके प्रॉफिट को डैमेज करती हैं। किसान को प्रॉफिट नहीं मिलता है। किसान चाहे आंध्र प्रदेश के हों, चाहे तमिलनाडु के हों या देश की किसी भी स्टेट के हों, आत्महत्या के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों को उपज का उच्च से उच्च मूल्य देने के लिए लागत मूल्य का निर्धारण एक साल के लिए किया जाता है और इसमें प्रयोग होने वाला सामान चाहे तेल हो, चाहे जो भी हो, उसका मूल्य भी उस साल के बीच में नहीं बढ़ना चाहिए[MSOffice74]। अगर बढ़ाते हैं तो उसका मूल्य के साथ फिक्सेशन होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, बैंकों से किसानों को ऋण दिया जाता है। किसानों को क्रेडिट कार्ड भी दिये जाते हैं, उन लोगों के लिये फसल बीमा योजना भी है। मुझे यह कहते हुये संकोच नहीं होता है कि यहां सदन में गावों से बहुत लोग चुनकर आते हैं और वे किसान ही हैं । हम लोग कृाि पर चर्चा करते रहते हैं लेकिन किसानों के लिये फसल बीमा योजना कही लागू नहीं है। किसानों के साथ बड़ी बड़ी दुर्घनायें होती रहती हैं। कभी सूखा है, कभी बाढ़

है और कभी ओलावृटि है लेकिन फसल बीमा योजना कही भी लागू नहीं होती दिखाई देती। जब किसानों को बैंक से लोन लेते समय उसका अंश देना पड़ता है तो मैं चाहता हूं कि किसानों को उसका फायदा मिलना चाहिये ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। आज देश में 40 प्रतिशत किसान कृाि कार्य से छुटकारा पाने में लगे हुये हैं क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृाि घाटे का सौदा बनता जा रहा है। जब किसी इनसान को उद्योग में घाटा नजर आने लगता है तो वह उसे नहीं करना चाहता। यही कारण है कि आज किसान खेती से हट रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार ने जितना ध्यान अन्य क्षेत्रों की तरफ दिया है, उससे ज्यादा ध्यान कृाि की तरफ दे जिससे किसान आत्मनिर्भर हो सकें। इससे देश का विकास ही होगा।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे कृाि जैसे महत्वपूर्ण विाय पर बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिये आपका आभारी हूं।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO Thank you Mr. Deputy-Speaker Sir. I congratulate Dr. Chinta Mohan for getting a discussion under Rule 193 regarding the problems faced by the farmers of our country.

It is a very important thing that, in our country, when you think of agriculture, when you think about our farmers' plight, there are two major crops, that is, rice and wheat, where most of the farmers of the country are involved in the production of these two crops.

Agriculture, if you go to say, depends upon three important stages. One is production, second is procurement and third is distribution. It has been seen that of these three systems, in the production stage the farmer of India has achieved, after the Green Revolution, the maximum from the farms. The per hectare yield has gone up, the per hectare fertiliser consumption has gone up and we have achieved the targets of the Green Revolution.

But still we should know how much of money, which the farmer puts into agriculture, gets back. That important aspect is procurement. It is the production of paddy or wheat linked and then procurement comes. The Government fixes the Minimum

Support Price for a particular product, say, for example, rice, which is eventually procured at the Minimum Support Price. After procurement, the farmer gets the money. But it has been seen that due to the weakness in the procurement strategy of the FCI or NAFED or any other organisation, which does the procurement, there is a news of distress sale. There is always a distress sale. So, the farmer is not able to get his proper price.

At the same time, the inputs for agriculture have started going up. The Government does not have sufficient godown. But today, in the Supplementary Demands for Grants (General), thanks to the hon. Finance Minister, a lot of money has been provided for the creation of godowns, warehouse facilities, etc. That is a good move. But still today, the rice millers, who get the paddy from the farmers are underpaid. Today, in the rice-milling sector, the levied rice is procured somewhere around Rs.800 odd per quintal[r75].

But the same rice, which is procured and supplied by Government agencies like NAFED or any primary agencies or any Government organisations, that is acquired at Rs. 1,036 per quintal of levy rice. Here, I would like to say that the Government should try to alter this policy. It is because the linkage between the rice mill and the producer is there. If the rice mills do not buy paddy at a proper rate, and if the rice millers do not get a proper levy price, then what will happen? The cost of production, the fuel cost, the cost of petrol, diesel and input cost in processing of paddy has gone up. Therefore, the Government should consider this aspect. If the rice millers are looked after properly and they are paid appropriate price for the levy rice, I am sure the farmers also will not be in a distress to sell the paddy at the time of need.

Sir, as you know 4,000 billion cubic metres of water received from precipitation, monsoons and snow flows to the sea and we have been able to harness only 29 per cent of that water. Besides, our models for prediction of monsoons mostly depend on the God. Here also, we have failed. For example, in June or July 2002, when the last predictions of monsoons came on July 29, at that time, out of the 593 districts of the country, 321 districts in 12 States were badly affected, and the Government tried their best to stall the misery. Thanks to the Green Revolution. It is because our godowns were packed with grains, so we could feed our poor, underprivileged people living below poverty line through various new schemes. But, at the same time, we should say that at the

procurement stage, we are losing millions of tonnes of paddy. It is because of lack of storage facilities. You can go to Chhattisgarh and to several places in Orissa. All the paddy which is procured is stored in the open and is just covered with tarpaulin. Flood comes and that thing is washed away. Therefore, I would like to say that the procurement system and the godowns should be strengthened.

Regarding distribution, I do not have much to say because the distribution system has to be further harnessed and further strengthened. It should be further revamped. For places like Kalahandi, Bolangir and Koraput (KBK) on Orissa, where the Government is initiating new programme, we have demanded since long that these people should get mobile vans, but they have not got the mobile vans. It is because it is a part of agriculture, that is why I am saying it. It is regarding distribution. Your Ministry also deals with Public Distribution System.

Another big challenge has come before us between developing and developed countries. You know as to what is going on in the WTO. I would like to congratulate the Commerce Minister, Shri Kamal Nath. He has tried his level best to fight it out in Hong Kong and he fought to the last inch so that the Indian farmer is not neglected. There has been a big hue and cry and big demonstrations in Hong Kong by the developing countries and other people that WTO is favouring the developed countries where they are not willing to reduce their subsidies. Where would the developing countries go? So, I congratulate the hon. Minister, Shri Kamal Nath. Though he is not here yet he should be commended for the work done by him. There was a debate on that also before he went there. He clearly mentioned that he would not be able to do anything much because the lobby of the developed countries is very strong. So, the lobby of the developing countries has to be further strengthened to fight out the cause of the country.

Then, I would like to mention about the extension work which is done by the Agriculture Department through R&D and other facilities. I am pained to say that institutions like Indian Council of Agricultural Research (ICAR) takes out a Handbook on Agriculture on National Farmers Body. The National Farmers Body have come down heavily on the latest 2005 edition of the Handbook on Agriculture published by ICAR.

18.00[m76] hrs.

They showed how the book was, in fact, a reprint of the 1980 edition. After the 1980 edition, the book is being reprinted in 2005. What message will it send about what the Government is doing or what the R&D people are doing or what the ICAR is doing? The ICAR is the one which is supposed to do all the R&D for the agricultural sector. This is a very sorry state of affairs. So, the Government should look into it and give the latest R&D materials to the farmers, and the concept, the principle, from laboratory to the land, started by Dr. Swaminathan should be followed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please wait a minute. I would like to know this from the hon. Members of this House.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, I would only take five minutes' time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please listen to me. I have a list of more than 30 hon. Members to speak. If I continue this discussion, I think we will not be able to even complete it up to 11 o' clock. मुझे मैटर्स ऑफ अर्जेन्ट पब्लिक इंपॉर्टेन्स भी लेना है।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, please allow me to continue for another five minutes.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): Sir, we continue the discussion. May I suggest that we continue the discussion for one hour? At seven o' clock, we will take up the 'Zero Hour'.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हाउस एग्री करता है?

… (*Interruptions*)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, yesterday the 'Zero Hour' was not taken up. I will make a request on behalf of everybody that you take the 'Zero Hour now today itself. The discussion could be taken up tomorrow. He can complete his speech tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Does the House agree?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House is extended till the 'Zero Hour' is over.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, I would only take two minutes' time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will continue your speech tomorrow.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, let him complete his speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right, Mr. Bikram Keshari Deo, you should finish it within two minutes.

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have given the ruling. You please sit down.

… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मिनिस्टर से बात करें।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : So, this is the status of the ICAR. Therefore, the Government should concentrate more on the farmers as today we are importing nearly Rs.50,000 crore worth of pulses, oil seeds. Now, the Government has initiated the Horticulture Mission. But we are losing nearly Rs.45,000 crore worth of vegetables and horticulture produce by destroying them. So, these three sectors have to be looked into properly. If they want to do the Horticulture Mission in true spirit, then let them please tell the Food Processing Ministry to create additional facility of storage, cold storage, food preservation and all the other things which are required so that the farmers get their actual price for their produce.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up matters of urgent public importance.

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन - अनुपस्थित।

श्री शैलेन्द्र कुमार।